रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 27 फरवरी, 2003/8 फाल्गुन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

चम्बा, 14 फरवरी, 2003

क्रमांक पंच-चम्बा-ए0 (16) 10/79-2002-II-160-64.—एतद्द्वारा श्री तुलसी राम उप-प्रधान ग्राम पंचायत चान्जू, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 18) के अन्तर्गत, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 2000 की धारा 122 को संशोधित धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड "ण" की ओर आकर्षित किया जा सकता है ।

(यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं) ।

परन्तु खण्ड "ण" के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि

के भीतर-भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं जब तक उसकी उक्त वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 दिनांक 8-6-2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड "ण" का प्रावधान 8-6-2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8-6-2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं । तथा उक्त प्रावधान होने के पश्चात उसके अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन के आयोग्य होगा ।

खण्ड विकास अधिकारी तीसा के पत्र संख्या 1818, दिनांक 30-11-2002 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में सूचित किया है कि आपके 8-6-2001 के पश्चात एक अतिरिक्त सन्तान हुई है कि जिसका इंद्राज ग्राम पंचायत चान्जू के जन्म रजिस्टर के रजिस्ट्रीकरण संख्या 28102 दिनांक 18-3-2002 के अन्तर्गत दर्ज है, जिसका जन्म दिनांक 10-3-2002 को हुआ है । जो आपकी तीसरी सन्तान है ।

जोकि हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, की धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड "ण" के अन्तर्गत अयोग्यता में आता है ।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31(क) के प्रधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

चम्बा, 14 फरवरी, 2003

संख्या-पंच चम्बा-ए(16)10/79-2002-II-180-184.—एतद्द्वारा श्री मोहन लाल सदस्य जखला, ग्राम पंचायत चान्जू जिला चम्बा का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या-18) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2000 की धारा 122 की संशोधित धारा 122 की उप-धारा(1) के खण्ड "ण" की ओर आकर्षित किया जा सकता है ।

"(यदि उसके दो से अधिक जीवित नन्तान हैं" ।

परन्तु खण्ड "ण" के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर-भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं जब तक उसकी उक्त वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, दिनांक 8-6-2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड "ण" का प्रावधान 8-6-2001 से प्रभावी होता है अर्थात 8-6-2001 के के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान होने के पश्चात् उसके अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन के आयोग्य होगा । खण्ड विकास अधिकारी तीसा के पत्र संख्या-1818, दिनांक 30-11-2002 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में सूचित किया है कि आपके 8-6-2001 के पश्चात एक अतिरिक्त सन्तान हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चान्जू के जन्म रजिस्टर संख्या-27102, दिनांक 28-4-2002 के अन्तर्गत दर्ज है, जिसका जन्म दिनांक 23-4-2002 को हुआ है जो आपकी तीसरी सन्तान है ।

जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम की धारा 122 की उप धारा(1) के खण्ड "ण" के अन्तर्गत अयोग्यता में आता है ।

अत: आपको आदेश दिये जाते है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

चम्बा, 14 फरवरी, 2003

संख्या पंच-चम्बा-(16) 10-82-200-204.—जैसे कि खण्ड विकास अधिकारी मैहला के पत्र संख्या-4105, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 के अन्तर्गत दी गई रिपोर्ट से पाया गया कि श्रीमती प्रीतमों देवी पंचायत समिति सदस्य, वार्ड किडी विकास खण्ड मैहला के दिनांक 18-2-2002 को एक अतिरिक्त सन्तान हुई है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत किडी के परिवार रजिस्टर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संख्या 77 के अन्तर्गत दर्ज है तथा ग्राम पंचायत किडी के परिवार रजिस्टर पृष्ठ 77 की नकल अनुसार श्रीमती प्रीतमों देवी पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति मैहला वार्ड किडी की वह तीसरी सन्तान है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 15) के अन्तर्गत संशोधित धारा-122 की उप-धारा (1) के खण्ड "ण" के प्रावधान लागू होने के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप श्रीमती प्रीतमो देवी, पंचायत समिति सदस्य वार्ड किडी पंचायत समिति मैहला के पद हेतु पदासीन रहने के आयोग्य हो चुकी है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश संख्या-पंच-चम्बा ए0 (16)-10.02-11-21-26, दिनांक 2-1-2003 द्वारा श्रीमती प्रीतमो देवी पंचायत समिति सदस्य वार्ड किडी को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया था, परन्तु उनसे इस बारे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी अयोग्यता स्वीकार करती हैं।

अत: मैं राहुल आनद (भा0 प्र0 से0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धार131(1) (क) तथा 131(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमती प्रीतमो देवी पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति मैहला, वार्ड किडी, विकास खण्ड मैहला के पद पर पदासीन रहना समाप्त करता हूं तथा पंचायत समिति मैहला के वार्ड किडी का सदस्य पद रिक्त घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत समिति मैहला का कोई अभिलेख, धन या चल-अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति मैहला को सौंप दें।

राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0),
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिलाधीश, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

ऊना, 17 फरवरी, 2003

संख्या पंच0-ऊना (4) 67/92-2067-2071.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब, जिला ऊना ने अपने गोपनीय पत्र सं0 727, दिनांक 1-7-2002 के अन्तर्गत श्री सत पाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री देव राज, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कलरूही के विरुद्ध मामला भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 व 42 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय सब-डिवीजन मैजिस्ट्रेट, अम्ब द्वारा 6 मास की कैद व मु0 1000/- रु0 जुर्माने में दण्डित किया था।

यह कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने के परिणामस्वरूप कैद की सजा समाप्त घोषित करके जुर्माने की सजा मु0 1000/- रु0 वहाल रखी गई है ।

अतः मैं, राकेश कौशल (भा0 प्रा0 से0), जिलाधीश ऊना, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त कृत्य के लिए श्री मन पाल, उप-प्रधान ग्राम पंचायत कलरूही, विकास खण्ड, अम्ब, जिला ऊना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (बी) के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया जाये । अतः आपका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी, अम्ब के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत कार्यवाई अमल में लाई जानी आवश्यक होगी ।

राकेश कौशल,
जिलाधीश,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित